

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
गया।

पटना, दिनांक- ३ / ०१ / 2019

विषय:- अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया को विपत्र कोड-20-2210011100006 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों में कुल रू० 3,45,00,000/- (रुपये तीन करोड़ पैंतालिस लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया को विपत्र कोड-20-2210011100006 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रू० 3,45,00,000/- (रुपये तीन करोड़ पैंतालिस लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2), दि०-17.04.98, 2880/वि०(2), दि०-06.05.06, 96/वि०(2), दि०-09.01.08 सह-पठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०-17.03.08, 2938/वि०(2), दि०-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0006-मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड-20-2210011100006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

Q. 4/1/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/अ0ना0म0मे0कॉ0अ0-03/2018-83(1)50/स्वा0, पटना, दिनांक- 7/01/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिलाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Q. 4/1/19

सरकार के विशेष सचिव

मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड-20-2210011100006 को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0006.01.01 वेतन	243000000	17500000	260500000	243000000	17500000	260500000	0
0006.01.03 जीवन यापन भत्ता	270000000	30000000	300000000	270000000	30000000	300000000	0
0006.01.04 मकान किराया भत्ता	218350000	15000000	233350000	218350000	15000000	233350000	0
0006.01.05 परिवहन भत्ता	52220000	6000000	58220000	52220000	6000000	58220000	0
0006.01.06 चिकित्सा भत्ता	51360000	5000000	56360000	51360000	5000000	56360000	0
0006.01.07 अन्य भत्ता	54870000	19000000	73870000	54870000	19000000	73870000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	3076800000	250000000	3326800000	3076800000	250000000	3326800000	0
0006.13.01 कार्यालय व्यय	50000000	20000000	70000000	50000000	20000000	70000000	0
0006.13.04 विद्युत प्रभार	72000000	30000000	102000000	72000000	30000000	102000000	0
0006.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	0	15000000	15000000	0	15000000	15000000	0
0006.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	100000000	30000000	130000000	100000000	30000000	130000000	0
कुल योग:-	3298800000	345000000	3643800000	3298800000	345000000	3643800000	0

(रुपये तीन करोड़ पैतालिस लाख)

830080

7-10-18

24/11/19

सरकार के विशेष सचिव